

nt>

Title: Demanded withdrawal of the notification concerning closure of the polluting industries in Delhi.

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, दिल्ली में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे 8-10 लाख मजदूरों को नोटिफिकेशन ने बेरोजगार कर दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 3 जनवरी तक इन उद्योगों को बंद कर दिया जायेगा। मेरा कहना यह है कि इसका आल्टरनेटिव क्या है? हम सब चाहते हैं कि दिल्ली प्रदूषण रहित हो। मैं चाहता हूँ कि इस नोटिस के कारण इंडस्ट्रीज में जो दहशत फैली हुई है, उस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाये और दिल्ली का मास्टर प्लान बदला जाये। यह मेरी मांग है। (व्यवधान)

14.00 hrs.

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, यह दिल्ली से संबंधित मामला है। 18 नवम्बर को दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियों को सील करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। लेकिन दिल्ली सरकार ने उन सारी फैक्टरियों को भी सील करने का काम किया है जो प्रदूषण नहीं फैला रही थीं। इस संबंध में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियाँ हैं, उन्हें यहाँ से जाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और जो प्रदूषण न फैलाने वाली फैक्टरियाँ हैं, उन्हें यहाँ रखा जाए। दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन किया जाए और 15 लाख मजदूर और लगभग एक लाख उद्योग मालिकों को उजड़ने से बचाया जाए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आपकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है, सरकार ने सूचना ग्रहण कर ली है। सदन को डिस्ऑर्डर करने से आपका परपज सोल्व नहीं होगा। सदन को ऑर्डर में रहने दीजिए, सदन में व्यवधान पैदा मत कीजिए। आप भी पुराने सदस्य हैं। सदन में काम संचालन के तरीके हैं।

श्री लाल बिहारी तिवारी : मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन सब लोगों को यहाँ से तब तक न उजाड़ा जाए, जब तक कि उन्हें दूसरा स्थान न दिया जाए और स्थान परिवर्तन के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। मैं यह मांग करता हूँ। (व्यवधान)

सभापति महोदय : सरकार ने सूचना ग्रहण कर ली है। आपके द्वारा उठाये गये बिंदु को संबंधित मंत्री तक पहुंचा दिया जायेगा। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सरकार ने सूचना ग्रहण कर ली है। आप बैठ जाइये। यह शून्यकाल नहीं है, सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है। सरकार ने सूचना ग्रहण कर ली है।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, दिल्ली में 45 हजार औद्योगिक इकाईयों को बंद करने के मामले पर मैं बोलना चाहता हूँ जिसके कारण आज दिल्ली के उद्योग संकट में पहुंच गये हैं। मैं चाहता हूँ कि उन्हें हटाने के लिए सरकार कोई समय सीमा निर्धारित करे। (व्यवधान) इसके लिए मैं पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री से मिला था और मैंने उन्हें कहा था कि जब तक ऑल्टरनेटिव जगह की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक इन उद्योगों को बंद न किया जाए। आप यकायक इन उद्योगों को बंद कर देंगे तो वे सब लोग क्या करेंगे। (व्यवधान)

श्री जे.एस.बराड़ (फरीदकोट) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो राष्ट्रीय हित में है और जिसके लिए ये सारी राजनीतिक पार्टियाँ (व्यवधान) गोयल साहब उन्होंने मेरा नाम बुलाया है। (व्यवधान)

14.02 पद्धत.

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री जे.एस.बराड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदन के सामने राष्ट्रीय हित का एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। (व्यवधान)

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप खुराना जी के साथ सेम सब्जेक्ट पर एसोसिएट कर सकते हैं।

14.03बजे

(तत्पश्चात् श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सदन से बहिर्गमन किया।)

श्री विजय गोयल : सभापति महोदय, मुझे यह कहना है कि आज तक उच्चतम न्यायालय ने लोक महत्व के बहुत सारे निर्णय दिये हैं और उनमें से बहुत से निर्णय अच्छे हैं। परंतु सवाल यह है कि उच्चतम न्यायालय जो निर्णय दे रहा है या तो वह सरकार या संसद की अक्षमता को प्रकट करता है या ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय सरकार या संसद के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि क्योंकि उच्चतम न्यायालय जब निर्णय लेता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे सरकारों को करना होता है। कई बार उसका जो दूसरा पक्ष है जैसे दिल्ली में लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे, चूंकि उच्चतम न्यायालय ने यकायक निर्णय दिया है कि जो प्रदूषण वाले उद्योग हैं उन्हें बंद किया जाए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं कि प्रदूषण वाले उद्योगों को बंद न किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए कोई समय सीमा हो, उन्हें टाइम दिया जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार पिछले दो सालों के अंदर कोई इंतजाम नहीं कर सकी है, उसके लिए दिल्ली सरकार को दोगी ठहराया जाना चाहिए और दिल्ली सरकार को भंग किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : मेरा नाम नहीं बुलाया गया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : लिस्ट में जिनका नाम है, उन्हीं को बुलाया जा रहा है, जिनका नाम नहीं है उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। आपको भी समय मिलेगा। लेकिन एक ही बार में सब सदस्यों को समय नहीं मिल सकता है। (व्यवधान)